पत्रांकः— यू.पी.ए.ए./08/01—96/08—2015

दिनांक—06.08.2015

सेवा में,
श्रीमती स्मृति ईरानी जी,
माननीय कबीना मंत्री
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
भारत सरकार
शास्त्री भवन
नई दिल्ली—110001.

विषय : <u>आर्कीटैक्ट एक्ट 1972 में संशोधन के सम्बन्ध में।</u>

आदरणीय महोदया,

आर्कीटैक्ट अधिनियम 1972 में पर्याप्त कानूनी प्रावधान न होने के कारण उक्त व्यवसाय के नियमन में अब तक आपेक्षित सफलता नही मिल पायी है। इसका मुख्य कारण अधिनियम में वास्तुविद के कार्य क्षेत्र का स्पष्ट प्रावधान न होना तथा इस कार्य के लिय अन्य शैक्षिक योग्यताओं का विभिन्न कानूनों में अनुमन्य होना है। वैश्वीकरण के इस दौर में अपर्याप्त कानून के कारण देश के वास्तुविदों को जहां हतोत्साहित होना पड़ रहा है वहीं विदेशी वास्तुविद इन परिस्थितियों से लाभान्वित हो रहे हैं। इस प्रकार की समस्याओं से वाणिज्य मंत्रालय ने भी आपके मंत्रालय को अवगत कराया गया है। इसी क्रम में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने आर्कीटैक्ट जे0 आर0 भल्ला, वरिष्ठ वास्तुविद, की अध्यक्षता में आर्कीटैक्ट अधिनियम 1972 में संशोधन प्रस्तावित करने के लिये एक समिति का गठन किया था। हमें विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि उक्त समिति ने वर्ष 2015 के प्रारम्भ में ही अर्कीटैक्ट एक्ट 1972 में संशोधन हेतु एक रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है जो कि आपके कार्यालय में विचाराधीन है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त रिपोर्ट में प्रस्तावित संशोधनों पर विचारोपरान्त माननीय संसद में पारित कराने के पश्चात लागू कराने कष्ट करें। इससे भारी मात्रा हो रहे निर्माण कार्यो में अपेक्षित दक्षता का समावेस हो सकेगा तथा राष्ट्र को निर्माण लागत कटोती के साथ पर्यावरणीय लाभ भी मिल सकेगा।

हमें विश्वास है कि आपका ध्यान इस ओर अवश्य ही आकर्षित होगा।

साभार।

भवदीय,

राजीव कुमार द्विवेदी
अध्यक्ष